फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री देबी जाट **बनाम** उगमी गाडरी वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट..न. 172 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.05.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम बबराणा में पेंश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम लापिया पटवार हल्का बबराणा भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 26 के आराजी सख्यां 208 रकबा 01–06 बीघा** आराजीयात विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9, 10 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संख्या 208 रकबा 01–06 बीघा को दिनांक 24.06.1999 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विपक्षी सख्या 01 लगायत 07 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। इसके पश्चात राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश आराजी संख्या 208 का प्रार्थी के नाम पर नामान्तकरण नही खोला गया। जिससे वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजीयात विपक्षीणगो के नाम पर चली आ रही है। जबकि 01 व 07 का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 व 9, 10 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थी के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम लापिया पटवार हल्का बबराणा भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 26 के आराजी सख्यां 208 रकबा 01–06 बीघा** में राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 07 व 9, 10 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	